

182
25

पशावली पेश हुई। कोई उपायित
 नहीं। वारी एवं उसके कहील उपायित
 नहीं आये। उन्हें कई बार आवाज
 लगाई गई। कोई हाजिर जवाब नहीं
 आया। अतः दावा वारी अदम दर्जिरी
 क अदम पैरवी में श्वारिज किया
 जाता है। पशावली फैसल मुमाद देकर
 दाखिल दफ्तर हो। अदेश सुनाया गया।



डीलपुर (राज०)